

तारीख  
हुक्म

16.8.22

पत्रावली चेबा हुई। सरकारी पत्रोकार  
उपस्थित। विप्राणी ग्राम पंचायत खारडी  
की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

हमने पत्रावली व पत्रावली के कलज  
दस्तावेज का अवलोकन किया प्राणी द्वारा  
मौजा खारडी के रज.नं. 331 श्रुवा 14-03  
बीदा किस्म जो मुं गोरु में से श्रुवा  
1-00 बीघा भूमि में चल रहे रास्ते को गोरु  
रास्ते के रूप में दर्ज कराने का विवेक  
किया गया।

प्राणी द्वारा भूमि किस्म गोरु गोरु  
से रास्ता उस्तवित किया गया है। गोरु  
गोरु प्रतिबंधित भूमी के अस्तगत आती है।  
गोरु गोरु से आशयमान हेतु श्री  
किली उकात रोड मधी होने से प्राणी  
पत्र पोषणीय नहीं होने से इली स्वेज  
पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फेसल सुमार खार नम्बर 6  
कम होकर दखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) बालोतरा